

दिनांक 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आपूर्ति श्रृंखला

871. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगामी वर्षों में आपूर्ति श्रृंखला और प्रभावी संभार तंत्र के भविष्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपूर्ति श्रृंखला के विकसित हो रहे परिदृश्य में उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और जटिल संभार तंत्र प्रचालनों का प्रबंधन करने के लिए नवोन्मेषी समाधानों की आवश्यकता होगी, सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार को घरेलू उत्पादन और व्यापार में बेहतर बदलाव के लिए आपूर्ति श्रृंखला और प्रभावी लॉजिस्टिक्स के महत्व की जानकारी है।

इस संबंध में, भारत सरकार ने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम सहित आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) को 13 अक्टूबर 2021 को 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के साथ मल्टीमॉडल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए लॉन्च किया गया था। पीएम गति शक्ति एनएमपी एक जीआईएस-सक्षम मंच है जो सड़कों, रेलवे लाइनों, बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों, दूरसंचार लाइनों, बिजली लाइनों आदि के बुनियादी ढांचे की डेटा परतों को एक ही मंच पर एकीकृत करता है और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए व्यापक योजना बनाने में सक्षम बनाता है।

पीएम गति शक्ति एनएमपी के पूरक के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) को 17 सितंबर 2022 को व्यापक लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान (सीएलएपी) के माध्यम से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके सेवाओं में दक्षता के लिए शुरू किया गया था, जिसमें मानव संसाधनों का विकास, यूनिफ़ाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (यूएलआईपी) और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। यूएलआईपी मंत्रालयों में 33 लॉजिस्टिक से संबंधित डिजिटल सिस्टम को एकीकृत करता है, जबकि एलडीबी एक्विजम कंटेनरों को ट्रैक करने और ट्रेस करने के लिए काम कर रहा है।

इसके अलावा, देश में निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जैसे उदारीकृत एफडीआई नीति, प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं की शुरूआत, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, विदेश व्यापार नीति 2023 जिसमें अनुपालन दायित्व को कम करने के उपायों के माध्यम से ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस , मेक इन इंडिया, एक जिला एक उत्पाद पहल, निर्यात हब के रूप में जिला पहल के साथ-साथ अन्य व्यावसायिक सुधारों पर ध्यान दिया गया है । इसके अलावा, मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) अधिमानी शर्तों पर विनिर्माण क्षेत्र में आपूर्ति और बाजार पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं।

भारतमाला और सागरमाला, निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस), औद्योगिक पार्कों की स्थापना और औद्योगिक गलियारों का विकास आदि जैसे कार्यक्रम भी समग्र बुनियादी ढांचे की योजना और देश के तेजी से आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अन्य बातों के साथ-साथ 'जीवीसी की मैपिंग के लिए जी20 जेनेरिक फ्रेमवर्क' जैसी पहल करने के अलावा, जो देशों को जीवीसी के भीतर लचीलापन बनाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों और उत्पादों के लिए अवसरों की पहचान करने में मदद करेगा, भारत सरकार भी आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित समृद्धि समझौते के लिए इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा (14 सदस्य देशों की एक पहल) पर हस्ताक्षरकर्ता बन गई है और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के आधार पर सामूहिक, दीर्घकालिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) का भी हिस्सा है।
